# हमारा शासन

हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।

***क्या तुम्हें मालूम है कि ये दोनों दिन पूरे देश में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में क्यों मनाए जाते हैं?***

15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था।

पहले हमारे देश का शासन अंग्रेज चलाते थे। तब हम उनके नियम मानने को मजबूर थे, क्योंकि हम उनके अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ। हमारा देश स्वतंत्र हो गया और इसी दिन से हमारा अपना शासन शुरू हुआ। इसीलिए यह दिन हम हर साल मनाते हैं।

देश में अपना शासन शुरू तो हो गया, किन्तु सभी के सामने एक ही प्रश्न था– 'हमारा शासन' कैसा हो? इस बात पर हमारे नेताओं ने मिलकर विचार किया कि कोई एक व्यक्ति राजा या इस देश का मालिक नहीं होगा। देश का शासन उसके लोगों द्वारा चलाया जाएगा। शासन चलाने का वह तरीका जिसमें देश के सभी लोगों का योगदान हो, उसे गणतंत्र कहा जाता है। गण का अर्थ है लोग। इसी से गणतंत्र शब्द बना जिसका मतलब हुआ लोगों का शासन। इसके लिए लोकतंत्र शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है।

***गणतंत्र या लोकतंत्र का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा?***

## संविधान

शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखित नियम बनाए गए, जिसे देश का संविधान कहा गया। संविधान को बनाने में बहुत से लोगों ने सोच-विचार और मेहनत की। उसे तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी जिस नेता ने निभायी उनका नाम था डॉ. भीमराव अंबेडकर।

यह संविधान देश के आजाद होने के ढाई साल बाद बन कर तैयार हुआ। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए यह दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है।

## भारत और उसके राज्यों की सरकार

संविधान में भारत और उसके राज्यों की सरकार के बनने और काम करने के तरीके लिखे हुए हैं। क्या तुमने सरकार से जुड़े इन नामों को सुना है?

1. विधायक  2. मुख्यमंत्री  3. राज्यपाल

*1. इनके बारे में तुम क्या जानते हो, चर्चा करो।*

*2. तुम्हारे इलाके का विधायक कौन है? वह विधायक कैसे बना?*

*3. तुमने उसके चुनाव के समय क्या नज़ारे देखे थे? चर्चा करो।*

*4. तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन है?*

*5. शिक्षक की मदद से जानो कि तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री किस इलाके के विधायक हैं?*

*6. यह सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री भी सबसे पहले तो कहीं के विधायक ही हैं। तब तुम्हारे यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने ? अपने शिक्षक के साथ इन सवालों पर बातचीत करो।*

*तुम्हें अपने दोस्तों और अपने शिक्षक से बातचीत करके बहुत सी बातें समझ में आ जाएँगी।*

# राज्य सरकार

## शासन करना

यहाँ राज्य सरकार के बारे में एक चित्र बना है। जैसे हम बताते जाएँ वैसे तुम चित्र भरते जाओ। तुम जानते हो कि देश में शासन का अधिकार देश के लोगों के हाथ में है। जनता वाले गोले में जितने लोग बना सकते हो बना दो। ये सब 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वे लोग हुए जो वोट डाल सकते हैं।

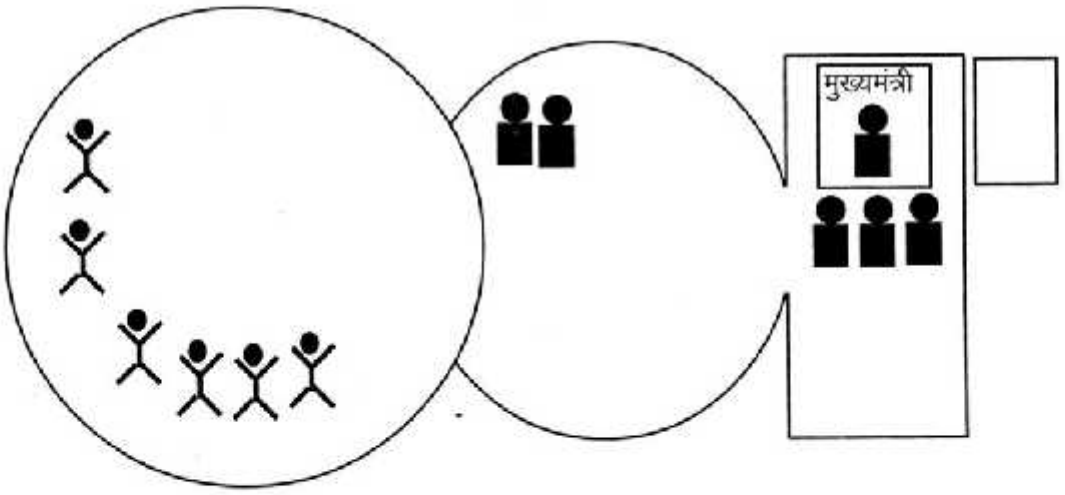


अलग–अलग इलाके के लोग वोट डालकर अपना–अपना विधायक चुनते हैं। यहाँ विधानसभा वाले गोले को तुम विधायकों के चित्रों से भर दो।

जिस दल या पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं वे विधायक अपने में से एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो यह देखता है कि क्या इस नेता को सबसे ज़्यादा विधायकों का साथ मिला है? यह जान कर राज्यपाल उस विधायक को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है।

***चित्र में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पहचानो।***

जो विधायक मुख्यमंत्री बनता है वो अपने साथ के बाकी विधायकों में से कुछ विधायकों को मंत्री बनाता है और उन्हें अलग–अलग काम सौंप देता है। मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रियों को राज्यपाल ही नियुक्त करता है।

***चित्र में मंत्रिमंडल वाले खाने में कुछ मंत्रियों के चित्र बनाओ ।***

तुमने रेडियो या टी.वी. पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह देखा और सुना होगा। राज्यपाल सबको यह शपथ दिलाते हैं कि वे भारत के संविधान के अनुसार काम करेंगे और उसकी बातों की रक्षा करेंगे।

***शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बातचीत करो।***

मंत्रिमंडल शासन के अलग–अलग काम जैसे कृषि, सिंचाई, स्वास्थ आदि की देख रेख करता है। मुख्यमंत्री व मंत्री – ये सभी लोग जो शासन चलाते हैं – आम जनता के द्वारा चुने हुए लोगों में से ही बनाए जाते हैं। तभी तो हम सबके वोटों का इतना महत्व है!

## कानून बनाना

सारे विधायक तो मंत्री या मुख्यमंत्री नही बनते। तो तुम सोच रहे होगे कि बाकी के विधायकों का क्या महत्व है? विधायक का मतलब है विधि बनाने वाला। और विधि का मतलब है, कानून। कानून बनाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। इस तरह कानून बनाने का काम भी वे ही लोग करते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। कानून बनाने के अलावा विधायकों की यह भी जिम्मेदारी है कि अपने इलाके के लोगों की ज़रूरतों और कठिनाइयों की तरफ मंत्री, मुख्यमंत्री का ध्यान खींचें और अपने इलाके के लोगों को लाभ पहुँचाएँ।

***तुम्हारे इलाके के लोग अपनी समस्याएँ ले कर अपने विधायक के पास जाते होंगे इस संबंध में बातचीत करो।***

## न्यायालय

विधानसभा और मंत्रिमंडल के अलावा न्यायालय भी सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटे–बड़े कई न्यायालय होते हैं। इन्हें कोर्ट भी कहा जाता है। कोई हमारे साथ गैर–कानूनी काम करे तो हम कोर्ट में अपील करते हैं और अपने अधिकार हासिल करते हैं। गलत काम करने वाले को दण्ड मिलता है। अगर कोई अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री भी कोई गैर–कानूनी काम करे, तो सरकार की कार्यवाही के खिलाफ भी हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। न्यायाधीश या जज कानून और संविधान की रक्षा करने के लिए फैसला सुनाते हैं। जज के फैसले को सरकार को मानना पड़ता है और लागू करना पड़ता है। इस तरह भारत गणतंत्र में लोगों को शासन पर नियंत्रण करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के बहुत से अवसर हैं।

# भारत देश की केन्द्र सरकार

जिस तरह अलग–अलग राज्यों की सरकार बनती है वैसे ही पूरे देश की एक सरकार बनती है। तुम्हारे घर के लोग सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य की सरकार बनाने के लिए ही वोट नहीं डालते। वे पूरे भारत की सरकार के लिए भी वोट डाल कर अपना फैसला देते हैं। इसके लिए भारत के अलग–अलग इलाकों के लोग अपने सांसद को चुनते हैं।

***तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है? उसके चुनाव के बारे में बातचीत करो।***

लोगों द्वारा चुने हुए सभी सांसद लोकसभा में आते हैं। वहाँ जिस दल के सबसे ज्यादा सांसद हों वे अपने में से एक सांसद को अपना नेता चुन लेते हैं। फिर राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो सांसद प्रधानमंत्री बनता है, वो अपने साथ के दूसरे सांसदों में से कुछ को अपने मंत्रिमंडल में ले लेता है और मंत्री बनाता है।

इस पूरी बात को समझाने के लिए वैसा ही चित्र बना है जैसा राज्य सरकार के बारे में तुम बना चुके हो।

*इस चित्र में सही जगहों पर ये नाम लिखो*

*जनता, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री*

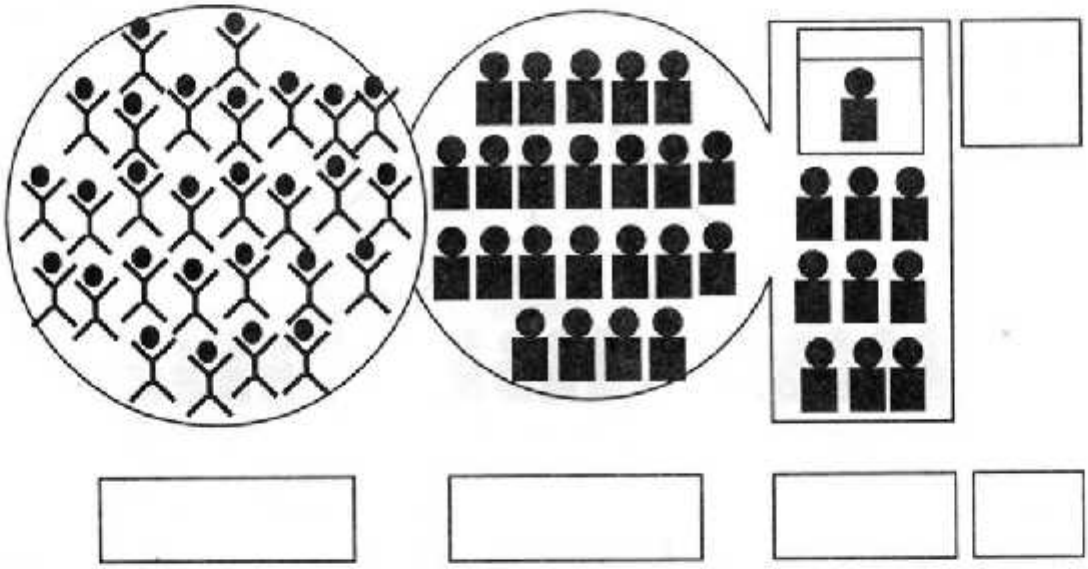

## राज्यसभा

संसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी होती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको आम लोग सीधे वोट डालकर नहीं चुनते। राज्यसभा सदस्यों के चुनावों में हर राज्य के विधायक वोट डालते हैं।

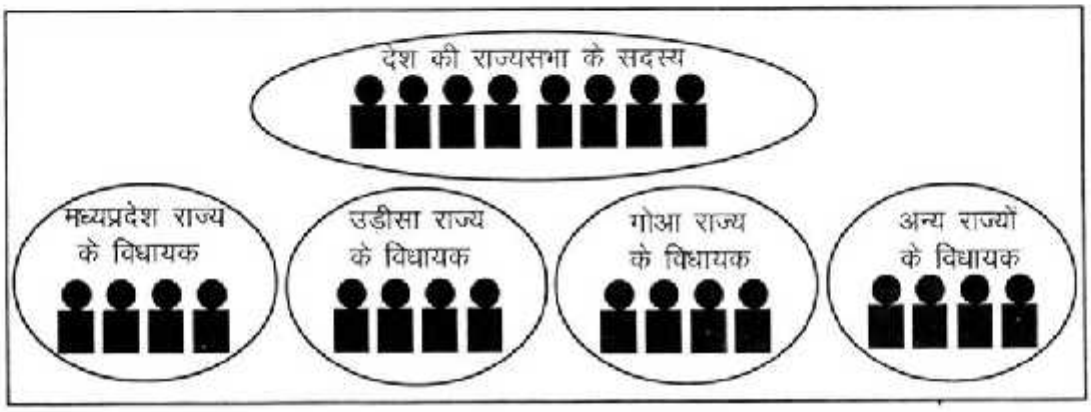


यानी राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग अपने विधायकों के माध्यम से चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं।

## राष्ट्रपति

देश के राष्ट्रपति को भी हम लोग सीधे वोट डाल कर नहीं चुनते। सभी राज्यों के विधायक, और लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डाल कर देश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।

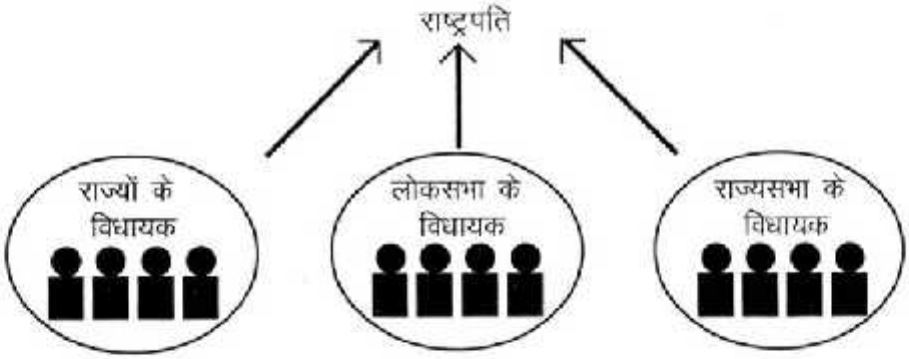


देश का राष्ट्रपति ही देश के सर्वोच्च न्यायालय और हर राज्य के सबसे बड़े यानी उच्च न्यायालय के जजों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष होता है। इन सब कामों में राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री की सलाह लेनी

होती है। शासन के इन सब लोगों को मिल कर देश के लोगों की भलाई के लिए काम करना होता है। यदि आम लोग शासन के काम से सन्तुष्ट नहीं हैं तो सरकार को बदला भी जा सकता है। हर पाँच साल में चुनाव होते हैं– विधायकों के भी और लोक सभा तथा राष्ट्रपति के भी। इन चुनावों में वोट डाल कर लोग अपनी पसंद की सरकार बना सकते हैं। 18 साल की उम्र या उससे अधिक उम्र के सब लोग चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इस तरह देश के शासन की बागडोर अन्तिम रूप में देश के लोगों के ही हाथ में रहती है।

1. *भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। फिर गणतंत्र दिवस उसके ढाई साल बाद, 1950 में क्यों शुरू हुआ?*
2. *कानून बनाने का काम कौन लोग करते हैं?*
3. *मुख्यमंत्री का चुनाव किस के द्वारा किया जाता है?*
4. *यह कौन तय करता है कि किस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा?*
5. *सरकार यदि कोई काम संविधान के खिलाफ कर दे, तो लोग उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं?*